संविधान के 36 वें अनुच्छेद से लेकर 51 तक, 16 अनुच्छेदों में राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन है। नीति निदेशक सिद्धान्तों की व्यापक सूची के विषयों का सरलता से अध्ययन करने के लिए इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है। निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण (Classification of the Directive Principles)

1. लोककल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिद्धान्त - निदेशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि -

(i) राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य-सुधार के लिए प्रयास करेगा। (ii) राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों में मुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। (iii) राज्य प्रत्येक स्त्री-पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। (iv) राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक-से-अधिक सार्वजनिक हित हो सके। (v) राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो। (vi) राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य करने के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। (vii) राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। (viii) राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें, एवं बेकारी, बीमारी और अंगहीनता, आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। (ix) वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। (x) राज्य संविधान के प्रारम्भ होने से दस वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए सुलभ और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा।

2. गाँधी विचारधारा से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्त -

(i) संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। (ii) अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों का संगठन करेगा। राज्य पिछड़ी हुई और निर्बल जातियों की विशेष रूप से शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति करेगा। (iii) अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग को औषधियों के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए मना करेगा। (iv) अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि और पशु-पालन को आधुनिक ढंग से

Scanned with CamScanner

संगठित करेगा। (iv) अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करेगा। (v) अनुच्छेद 50 के अनुसार, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। (vi) अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य पूरे देश के लिए एक समान दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाने का यत्न करेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बढ़ावा देने वाले निदेशक सिद्धांत - संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक सम्बन्धों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा सन्धियों की सम्मान बढ़ाएगा। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा।

4. नए निदेशक सिद्धांत - 42वें संशोधन द्वारा नए निदेशक सिद्धान्त भी संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 की धारा (एक) को बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाना तथा उनके स्वस्थ विकास के लिए उपयुक्त अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 के बाद एक नया अनुच्छेद 39 (ए) जोड़ दिया गया है। इसमें समान न्याय दिलाने तथा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 43 (बी) जोड़ दिया गया है। इसमें उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 48 (ए) के अनुसार वनों तथा जन्म जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है और उसके स्थान पर अंकित वैकल्पिक अनुच्छेद के अनुसार 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का दायित्व होगा।